भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2488

(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत केन्द्र-राज्य समन्वय

2488. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने में राज्यों के बीच व्यापक अंतर को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय राज्यों के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्र-राज्य समन्वय के मुद्दों का समाधान किस प्रकार करने का प्रयास कर रहा है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत लागत वृद्धि और परियोजना में विलंब को कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) गरीबी उन्मूलन उपाय के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा एकबारगी का विशेष कार्यकलाप है , जिसके तहत पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों तक ग्रामीण सड़कों का निर्माण/उन्नयन किया जाता है। पीएमजीएसवाई के दायरे में नए कार्यकलाप/पहले अर्थात पीएमजीएसवाई -II, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए), और पीएमजीएसवाई-III शामिल किए गए। पात्र बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान का सड़क संपर्कता घटक भी शुरू किया गया है। पीएमजीएसवाई के

विभिन्न कार्यकलापों के तहत 02.12.2024 तक 3,29,123.01 करोड़ ₹ की लागत से कुल 7,68,892.47 किलोमीटर सड़क लंबाई का निर्माण किया गया है।

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्य पूरा करने में दुर्गम भूभाग, अपर्याप्त कार्य मौसम, जलवायु संबंधी आपदाओं, वन एवं वन्यजीव संबंधी अनापत्तियों , सुरक्षा मुद्दों आदि की चुनौतियों की सूचना दी है। पीएमजीएसवाई-I, II, आरसीपीएलडब्ल्यूईए और पीएमजीएसवाई-III के तहत कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च 2025 है।

पीएमजीएसवाई कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों और राज्यों के साथ पूर्व - अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। उपरोक्त के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा योजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों /प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।एनआरआईडीए द्वारा राज्यों को नई तकनिकियों को अपनाने में सहायता करने , सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण और क्रॉस-लर्निंग के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

(ग) पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार , समय और लागत वृद्धि के साथ -साथ निविदा प्रीमियम के कारण केन्द्र सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त निधियां उपलब्ध नहीं कराई जाती है। राज्य प्रचलित दर अनुसूची (एसओआर) के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते हैं। तदनुसार, मंत्रालय राज्यों के एसओआर के आधार पर निकाले गए लागत अनुमान के आधार पर प्रस्तावों को मंजूरी देता है। इन एसओआर को मौजूदा बाजार प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। एक बार परियोजना स्वीकृत हो जाने के बाद , योजना के अंतर्गत अधिक समय लगने के कारण लागत वृद्धि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। दिशानिर्देशों में सड़कों/पुलों के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसका पालन किया जाता है।

****